[भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड

अधिसूचना सं 23 / 2021 - केंद्रीय कर

नई दिल्ली, तारीख 1 जून, 2021

सा.का.नि...........(अ) - सरकार, केंद्रीय माल और सेवा कर नियम, 2017 के नियम 48 के उपनियम(4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफ़ारिशों पर, भारत सरकार वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) अधिसूचना सं. 13/2020- केन्द्रीय कर, तारीख 21 मार्च 2020, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं.196(अ), तारीख 21 मार्च 2020, को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करती है:-

उक्त अधिसूचना के प्रथम अनुछेद में "ऐसे रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, उनसे भिन्न" शब्दों के पश्चात "एक सरकारी विभाग, एक स्थानीय निकाय," शब्दों को अंतः स्थापित किया जाएगा।

[फा. सं. सीबीआइसी-20001/5/2021]

(राजीव रंजन)
अवर सचिव, भारत सरकार

नोट : मूल अधिसूचना सं. 13/2020-केंद्रीय कर, तारीख 21 मार्च 2020, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 196(अ), तारीख 21 मार्च, 2020 द्वारा प्रकाशित की गयी और अधिसूचना संख्या 05/2021-केंद्रीय कर, तारीख 8 मार्च, 2021, जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में, सा.का.नि. संख्या 160 (अ), तारीख 8 मार्च, 2021 द्वारा प्रकाशित की गई थी, के द्वारा अंतिम बार संशोधित की गई।